

**वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव  
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

**भाग- 2**

**(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या :- FP/CG/TRANS./22299/2016

|    |       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. |       | परियोजना/स्कीम का स्थान                                                                                                                                                                            | कार्यपालन अभियन्ता अति उच्च दाब (संधारण ) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर द्वारा प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. . विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण किया जाना है। उक्त लाईन NH-343 एवं SH-12 से गुजरना प्रस्तावित है। इस निर्माण कार्य में बलरामपुर वनमंडल में 6.961 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 6.961 हेक्टेयर वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। |
|    | i.    | राज्य/संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                            | छत्तीसगढ़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | ii.   | जिला                                                                                                                                                                                               | बलरामपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | iii.  | वन प्रभाग                                                                                                                                                                                          | बलरामपुर वनमंडल बलरामपुर, परिक्षेत्र राजपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | iv.   | वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है                                                                                                                                            | 6.961 हेक्टेयर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | v.    | वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |       | (क) सीमांकित संरक्षित वन                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |       | (ख) सीमांकित आरक्षित वन                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |       | ( )                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |       | (ग) असीमांकित संरक्षित वन                                                                                                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |       | (घ) राजस्व वनक्षेत्र                                                                                                                                                                               | 6.961 हेक्टेयर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |       | योग :-                                                                                                                                                                                             | 6.961 हेक्टेयर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | vi.   | हरियाली का घनत्व                                                                                                                                                                                   | 0.4 तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | vii.  | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ. आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए। | संलग्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | viii. | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी                                                                                                                                        | आवेदित वनभूमि वन भूमि मृदा वर्गीकरण के पांचवे श्रेणी में आता है. जिसमें फसल उत्पादन की संभावना कम है एवं मृदा क्षरण की संभावना नहीं है। अतः उक्त भूमि आवेदित परियोजना हेतु दिया जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | ix.   | वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.                                                                                                                             | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | xi.  | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।                                                                                                  | लागू नहीं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | xii  | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।             | लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु बलरामपुर वनमण्डल के आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है। राजपुर में प्रस्तावित लाईन से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर ऐतिहासिक महत्व के चिन्ह स्थित नहीं है। प्रस्तावित लाईन के निर्माण से इन ऐतिहासिक स्थलों में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। |
| 8  | .    | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें। | प्रस्तावित वनभूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  |      | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।                                 | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 |      | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | i.   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनोत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।                                                                                | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये ब्यापवर्तन हेतु प्रस्तावित वनमण्डल के परिक्षेत्र रामानुजगंज के कक्ष क्रमांक पी 3486 कुल रकबा 396.45 में से 37.000 हेक्टेयर बिगड़े वन क्षेत्र का चयन किया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | ii.  | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनोत्तर / अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।                                                                                                                  | संलग्न हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | iii. | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।                                                                                                            | संलग्न हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | iv.  | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।                                                                                                                                                                          | रुपये 20,89,27,200/-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | v.   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)                                            | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र प्रबंधकीय दृष्टिकोण से पूर्णतः उपयुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 |      | जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (गपएगपप), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)                                                                                             | आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पाई जाती है न ही आवेदित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। वनभूमि की मांग प्रस्तावित परियोजना के लिए                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                    | पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। वनभूमि की मांग प्रस्तावित परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवेदक सरस्थान द्वारा वन अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 |      | विभाग/जिला प्रोफाइल                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | i.   | जिले का भौगोलिक क्षेत्र                                                                            | 7139.200 वर्ग कि.मी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | ii.  | जिले का वनक्षेत्र                                                                                  | वनमण्डल का वनक्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |      | आरक्षित वन                                                                                         | 700.998 वर्ग कि.मी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |      | संरक्षित वन                                                                                        | 2350.96 वर्ग कि.मी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |      | असीमांकित वन                                                                                       | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |      | योग :-                                                                                             | 3051.960 वर्ग कि.मी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | iii. | मामलो की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।                          | 153.45 हेक्टर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | iv.  | 1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:                                                  | ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |      | क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।                                                   | ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |      | ख. वनोत्तर भूमि पर ।                                                                               | ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | v.   | तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |      | क. वनभूमि।                                                                                         | 1869.21 हेक्टर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |      | ख. वनोत्तर भूमि पर                                                                                 | ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13 |      | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। | प्रस्तावित लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. . विश्रामपुर-प्रतापपुर- बलरामपुर लाईन के लो. नम्बर 42/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र राजपुर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण होने से सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में बिना रुकावट गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपूर्ति होगी। इस परियोजना से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कृषि एवं औद्योगिक विकास होने से रोजगार होने की पुरी संभावना है। इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव हेतु 6.961 हे० वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति करने की अनुशंसा सहित प्रेषित है। |

दिनांक : 18/11/16

स्थान : बलरामपुर

  
बी.पी.सिंह

“भा.व.से”

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर